अभि० आदि के हस्ताक्षर

(25)

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क0 /2019 पुर्नविलोकन

पुनर्विलोकन-0733/2019/विदिशा/भू०रा०

शैलेन्द्र सिंह पुत्र संतोष सिह दांगी आयु लगभग 19 वर्ष निवासी –ग्रम थान्नेर तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

.............आवेदक

विरुद्ध

सत्येन्द्र सिंह पुत्र सौदान सिंह दांगी निवासी ग्रम – थान्नेर तहसील व जिला विदिशा म.प्र.

......................अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि० 21-6-19 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 3-7-19 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 21-6-19
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अतर्गत धारा 51 के तहत म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 विरूद्ध पारित माननीय अध्यक्ष महोदय मनोज गोयल साहव द्वारा निगरानी **6309/**एक/**2017** में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 13.06.2019 को पुर्नविलोकन करने वावत ।

21/6/19

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पुनर्विलोकन 0733/2019/विदिशा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-19	यह रिव्यु याचिका मेरे पूर्वाधिकारी के द्वारा प्रकरण क्रमांक एक/निग./विदिशा/भू.रा./17/6309 में पारित आदेश दिनांक 13-6-19 के विरूद्ध दायर की गई है । 2/ प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर आवेदक के अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अध्ययन किया । पुनर्विलोकन का मूल आधार शैलेन्द्र सिंह के पिता संतोष सिंह द्वारा दी गई कथित सहमति पर विवाद से संबंधित है । उनके द्वारा इस सहमति से स्पष्ट इंकार किया और इसे फर्जी निरूपित किया । तहसीलदार द्वारा बटवारा नियमों का पालन नहीं किया जाना भी इस याचिका का आधार है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 27-11-2017 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-7-14 को निरस्त कर दिया इसका कुल प्रभाव यह हुआ कि अतिरिक्त तसीलदार के द्वारा पूर्व में पारित मूल आदेश दिनांक 8-8-07 अंतिम हो गया । मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी ने प्रकरण के सभी तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों का विश्लेषण कर दिनांक 13-6-19 को अंतिम आदेश पारित किया था । पुनर्विलोकनकर्ता ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके आधार पर यह पुनर्विलोकन याचिका स्वीकार करना युक्तियुक्त प्रतीत हो।और यह भी कि याचिकाकर्ता ने तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 8-8-07 को निरस्त किए जाने के संबंध में व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष दीवानी दावा भी प्रस्तुत किया है । 3/ इन तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन याचिका को स्वीकार किए जाने के कोई आधार विद्यमान नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। मूल अभिलेख सम्बन्धित न्यायालय को भेजा जाये । (इकबाल सिंह बैंस) अध्यक्ष	